बिहार सरकार

जिला सांख्यिकी कार्यालय

समाहरणालय, मधेपुरा

E-mail -dso.stat.mdp@gmail.com

बिहार सरकार

-:: आदेश ::-

जिला स्थापना आदेश ज्ञापांक 871-2/स्था0, दिनांक 26.10.2016 एवं इस कार्यालय के ज्ञापांक 433 दिनांक 12.11.2016 के आलोक में संविदा के आधार पर निदेशक, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना के पत्रांक 100 दिनांक 18.01.2016 के अन्तर्गत जिला सांख्यिकी कार्यालय, मधेपुरा में एक अभ्यर्थी को कार्यपलक सहायक के पद पर निम्न शर्तो के अधीन नियोजित किया जाता है :-

क्र0	मेधा क्रमांक	अनुक्रमांक	पैनल के चयनित अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम एवं पता	जन्म तिथि	कोटि	अभ्युक्ति
1	259	MDE000359	पुनम कुमारी	श्री पृथ्वी राम, सा0-घुरिया सौतारी, पो0-रसलपुर धरिया, थाना-चौसा, मधेपुरा	05.04.1996	SC	

1. यह नियोजन बिल्कुल ही अस्थायी होगी एवं बिना कारण बताये कभी भी समाप्त की जा सकती है।
2. यह नियोजन संविदा के आधार पर की गयी है। अतएव मानदेय का भुगतान सरकार के स्वीकृत मानदेय मो011345/-(ग्यारह हजार तीन सौ पेंतालिस) रूपये प्रतिमाह का भुगतान किया जाएगा। मानदेय का भुगतान अभ्यर्थी द्वारा समर्पित शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण-पत्र, आरक्षण आवसीय प्रमाण-पत्र इत्यादि सत्यापन के उपरान्त हीं किया जाएगा।
3. सरकार से प्राप्त निदेश के आलोक में उक्त मानदेय की राशि घटाया-बढ़ाया जा सकता है।
4. यह नियोजन की तिथि से एक वर्ष के लिए किया जायेगा और आवश्यकतानुसार यह अवधि बढ़ायी जा सकेगी।
5. योगदान के समय अभ्यर्थी को निम्न हार्डवेयर होना अनिवार्य होगा अन्यथा योगदान नहीं किया जा सकेगा :- (1) एक डेस्क टॉप (2) एक प्रिंटर (ब्लैक एण्ड व्हाईट) (3) यू0पी0एस0 (4) इन्टरनेट कनेक्सन हेतु डाटा कार्ड
6. कम्प्यूटर हार्डवेयर के लिए अलग से कोई राशि देय नहीं होगी। इसमें लगने वाले पेपर, कार्टेज आदि की आपूर्ति संबंधित कार्यालय द्वारा की जाएगी।
7. इन्टरनेट कनेक्सन का बिल नियोजित अभ्यर्थी द्वारा देय होगा।
8. नियोजित अभ्यर्थी का कार्य असंतोषजनक पाये जाने पर आपकी सेवा तत्क्षण समाप्त कर दी जाएगी।

9. नियोजित अभ्यर्थी को निदेश दिया जाता है कि वे असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, मधेपुरा से स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र मूल में समर्पित करेंगे।

10. संविदा के आधार पर नियोजित व्यक्ति सरकारी सेवक नहीं माने जाएंगे और सरकारी सेवक के अनुमान्य किसी भी सुविधा के वे हकदार नही होंगे। संविदा के आधार पर नियोजन के बाद सरकारी सेवा में नियमितीकरण का उनका कोई भी दावा नहीं बनेगा।

11. यदि संविदा की अवधि की समाप्ति के पूर्व उसका विस्तार नहीं हो जाता है तो ऐसी नियुक्ति स्वतः समाप्त समझी जाएगी।

12. नियोजित अभ्यर्थी अपना एकारनामा विहित प्रपत्र में समर्पित करेंगे।

13. नियोजित अभ्यर्थी को छुट्टी की अनुमान्यता नही होगी। उन्हे सरकारी सेवकों को अनुमान्य आकस्मिक अवकाश मात्र अनुमान्य होगा।

14. नियोजित अभ्यर्थी को निदेश दिया जाता है कि वे दिनांक 25.11.2016 तक अपना योगदान नवपदस्थापित कार्यालय में असैनिक शल्य चिकित्सक, मधेपुरा का स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र तथा विहित प्रपत्र में एकरारनामा समर्पित करेंगे। निर्धारित तिथि के बाद आपका योगदान नहीं लिया जाएगा एवं आपके दावे को रद्द कर दिया जाएगा।

15. योगदान के लिए किसी प्रकार का यात्रा भत्ता अनुमान्य नहीं है।

इसकी सूचना सभी संबंधितों को दी जाए।

ह0/-

जिला सांख्यिकी पदाधिकारी,

मधेपुरा।

ज्ञापांक 454 दिनांक 18/11/ 2016

प्रतिलिपि :- पुनम कुमारी (अभ्यर्थी) को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- आई0टी0 प्रबंधक, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि जिला के वेवसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करेंगे।

प्रतिलिपि :- निदेशक, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- जिलाधिकारी, मधेपुरा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

ह0 14/11/16

जिला सांख्यिकी पदाधिकारी,

मधेपुरा।

परिशिष्ट–1

संविदा के आधार पर नियोजन हेतु एकरारनामा

यह एकरारनामा बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाईटी(सामान्य प्रशासन विभाग) बिहार सरकार, पटना एवं चयनित/नियोजित होने वाले श्री/सुश्री/श्रीमति.. के बीच निम्नलिखित शर्तों के साथ की जा रही है:-

01. यह नियोजन केवल कार्यपालक सहायक के पद के लिए किया जाएगा।

02. यह नियोजन संविदा के आधार पर नियोजन की तिथि से केवल एक वर्ष के लिए किया जायेगा लेकिन विशेष परिस्थिति में इसकी अवधि अगले एक वर्ष तक बढ़ायी जा सकेगी। संविदा की तिथि दिनांक.................................. से दिनांक.. तक होगी।

03. संविदा के आधार पर नियोजित श्री/सुश्री/श्रीमति .... को दिनांक.............................. तक एवं दिनांक-............................ से ....रू0 प्रतिमाह एकमुश्त राशि पारिश्रमिक के रूप में देय होगा एवं इसके अतिरिक्त अन्य कोई राशि या भत्ता देय नहीं होगा।

04. इस तरह के नियोजित व्यक्ति को इस नियोजन के आधार पर सरकारी सेवकों को देय कोई अन्य सुविधा अनुमान्य नहीं होगी।

05. इस आधार पर भविष्य में नियमित नियुक्ति हेतु अथवा अन्यथा कोई दावा अनुमान्य नहीं होगा।

06. संविदा पर नियोजित व्यक्ति की सेवा स्थानान्तरणीय नहीं होगी।

07. नियोजन के पूर्व नियमानुसार स्वास्थ्य प्रमाण पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा।

08. इस प्रकार का नियोजन संविदा अवधि (कंट्रेक्ट पीरियड) समाप्ति के पूर्व उभय पक्षों द्वारा एक माह की पूर्व सूचना देकर या एक माह की संविदा राशि एकमुश्त देकर समाप्त की जा सकेगी।

09. संविदा पर नियोजन के पश्चात दोनों पक्षों को एकरारनामा की उपरोक्त शर्तें मान्य होगी। नियोजित व्यक्ति उपरोक्त एकरारनामा के किसी भी शर्ते का उल्लंघन करेंगे तो एकरारनामा स्वतः समाप्त समझा जायेगा।

हस्ताक्षर–

नाम–

पदनाम–

(नियोजित व्यक्ति)